कार्यालय जिला पंचायत, जिला—कोरबा (छ.ग.)

Email ID- Zp-Korba.Cg@Nic.In
Korbaddp@Gmail.Com

//आदेश//

क्रमांक/2135/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

कार्यालय, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/1515/स्था./ज.प./2022 करतला, दिनांक 28.09.2022 के तहत् प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आपके द्वारा बिना पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहना, शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना, गोठान, राशन कार्ड, पेंशन, जन्म—मृत्यु पंजीयन के कार्यों की जानकारी न देना, समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय लगातार नहीं खोलने के कारण ग्रामीणजनों को परेशानी होना पाया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश की अवहेलना करना शासकीय कार्य में उदासीनता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीक है। जो कि **छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम—1999** के विपरीत है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः श्री खेदूसिंह, सचिव ग्राम पंचायत दमखांचा जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा को तत्काल ग्राम पंचायत सचिव पद से निलंबित किया जाता है। नियमानुसार श्री खेदूसिंह को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा निर्धारित की जाती है। श्री रूपेश कुमार, ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत दमखांचा का प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत—कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/2136/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

प्रतिलिपि :—

1) कलेक्टर, जिला—कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
2) उप संचालक पंचायत कोरबा को सूचनार्थ।
3) अनुविभागीय अधिकारी (रा॰) अनुविभाग कोरबा को सूचनार्थ।
4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा को लेख है, कि उक्त ग्राम पंचायत सचिव का आरोप पत्र, आरोप विवरण, साक्ष्य की प्रति इस कार्यालय को समय—सीमा में उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5) वरि.आंत.लेखा.परी.एवं करा.अधिकारी जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ। आप संबंधित को पत्र तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तीन दिवस के भीतर प्रेषित् करें।
6) सरपंच ग्राम पंचायत दमखांचा जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7) संबंधित सचिव श्री खेदूसिंह ग्राम पंचायत दमखांचा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8) कार्यालयीन शाखा लिपिक को सूचनार्थ। आप संबंधित के मूल सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने की आवश्यक कार्यवाही करें।
9) श्री रूपेश कुमार ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत दमखांचा जनपद पंचायत करतला का प्रभार प्राप्त करने सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत—कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, जिला—कोरबा (छ.ग.)

Email ID- Zp-Korba.Cg@Nic.In
Korbaddp@Gmail.Com

//आदेश//

क्रमांक/2129/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

कार्यालय, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/1146/स्था./ज.प./2022 करतला, दिनांक 24.08.2022 एवं पत्र क्रमांक/1511/स्था./ज.प./2022 करतला, दिनांक 28.09.2022 के तहत् प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री देवसिंह पैकरा सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम गौठान में नोडल अधिकारी सह गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी करवाने में रूचि नहीं लेने के कारण लक्ष्य अनुरूप खरीदी नहीं होना पाया गया है। जनपद पंचायत कार्यालय में बिना पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहना, शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना, पेंशन भुगतान कार्यों की जानकारी न देना, साथ ही अधिकारियों का फोन रिसीव नहीं करना, उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश की अवहेलना करना शासकीय कार्य में उदासीनता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीक है। जो कि **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम—1965** के विपरीत है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः श्री देवसिंह पैकरा, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी सेक्टर मुख्यालय जुनवानी जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा को तत्काल पद से निलंबित किया जाता है। नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत करतला निर्धारित की जाती है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

17/X/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत—कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/2130/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

प्रतिलिपि :—

1) कलेक्टर, जिला—कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
2) उप संचालक पंचायत कोरबा को सूचनार्थ।
3) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग कोरबा को सूचनार्थ।
4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा को लेख है, कि उक्त ग्राम पंचायत सचिव का आरोप पत्र, आरोप विवरण, साक्ष्य की प्रति इस कार्यालय को समय—सीमा में उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5) वरि.आंत.लेखा.परी.एवं करा.अधिकारी जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ। आप संबंधित को पत्र तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तीन दिवस के भीतर प्रेषित् करें।
6) संबंधित श्री देवसिंह पैकरा, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी सेक्टर मुख्यालय जुनवानी जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7) कार्यालयीन शाखा लिपिक को सूचनार्थ। आप संबंधित के मूल सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने की आवश्यक कार्यवाही करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत—कोरबा (छ.ग.)